आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Fisheries and Animal Resources Development Department (Directorate of Fisheries)

Livelihood Support to Marine Fishermen during Fishing Ban Period

यह MMKY उप योजना ओडिशा के पांच तटीय जिलों के उन समुद्री मछुआरा परिवारों को हर साल नकद मदद देती है, जिनका काम समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए मछली पकड़ने पर रोक से छूट जाता है।

क्या मिल सकता है

हर प्रभावित मछुआरा परिवार के एक सदस्य को साल में Rs 15,000, एक ही किस्त में DBT से आधार से जुड़े बैंक खाते में।

किसके लिए है

भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजाम जिलों के 18 से 70 साल के सक्रिय समुद्री मछुआरे, जो कछुआ सुरक्षा वाली रोक से प्रभावित हैं।

मुख्य शर्तें

- आप 18 से 70 साल के सक्रिय समुद्री मछुआरे हों, और आधार व पते के प्रमाण के साथ ओडिशा के स्थायी निवासी हों।
- ओडिशा में आपके अपने नाम का आधार से जुड़ा बैंक खाता हो।
- आप मोटर वाली नाव के मालिक हों, उस पर काम करते हों, या मछली का व्यापार, छंटाई या ग्रेडिंग करते हों। भितरकनिका (गहिरमाथा) के पास बिना मोटर की नाव के मालिक और मजदूर भी शामिल हैं।
- नाव मालिक के पास वैध ReAL Craft पंजीकरण और मछली पकड़ने का लाइसेंस हो। नाव पर काम करने वाले और मछली मजदूरों को पंजीकृत नाव मालिक का प्रमाण पत्र देना होगा।
- हर परिवार के एक ही सदस्य को मदद मिलती है। पहले नाव मालिक, फिर नाव पर काम करने वाले, फिर दूसरे मछली मजदूर।

दस्तावेज़

- आधार कार्ड की कॉपी
- वोटर पहचान पत्र की कॉपी
- राशन कार्ड की कॉपी
- नाव के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी
- मछली पकड़ने के लाइसेंस की कॉपी
- नाव पर काम करने वालों और दूसरे मछली मजदूरों के लिए नाव मालिक का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
- खुद सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें

1. तय फॉर्म भरें और मरीन एक्सटेंशन यूनिट के सहायक मत्स्य अधिकारी, SFTA या JFTA के जरिए अपने जिले के अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (मरीन) को दें।
2. दस्तावेजों की खुद सत्यापित कॉपी लगाएं और जमा करते समय असली दस्तावेज दिखाएं।
3. आवेदन की जांच होती है और उप कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति अंतिम सूची मंजूर करती है।
4. पैसा DBT से आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://fard.odisha.gov.in/sites/default/files/2026-03/Fisheries%20Compendium%20under%20MMKY.pdf
आधिकारिक PDF: https://fard.odisha.gov.in/sites/default/files/2026-03/Fisheries%20Compendium%20under%20MMKY.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/odisha/od-fishing-ban-livelihood-support/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।